

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 331 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसृजित/2011 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्लम्-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- अर्धशास्त्र

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	दीपक कुमार डिमरी,	रा0इ0का0परकण्डी, वि0ख0 उखीमठ	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 केलाशबांगर, वि0ख0 जखौली	रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	उपेन्द्र भट्ट,	रा0इ0का0 साकिनखेत वि0ख0 कल्जीखाल	पौड़ी	रा0इ0का0 खण्डकरी, वि0ख0 चम्बा,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री बल्लभ प्रसाद डिमरी	रा0इ0का0 उज्जवलपुर, कर्णप्रयाग, चमोली	चमोली	रा0इ0का0 जयपुर कौल्सी, वि0ख0 कर्णप्रयाग	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती सुमन रावत	रा0इ0का0 रतगांव, धराली, चमोली	चमोली	रा0इ0का0 ग्वाट देवलखार, वि0ख0 दशौली	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती सत्येश्वरी खत्री	रा0 इ0का0 भरारीसेण, गैरसेण, चमोली	चमोली	रा0इ0का0 डुरी मैकोट, वि0ख0 दशौली	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्री दीपचन्द सोमवाल	रा0इ0का0 कनखुल, वि0ख0 कर्णप्रयाग,	चमोली	रा0इ0का0 मालसी, वि0ख0 गैरसेण	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्री दीपक रस्तोगी	रा0इ0का0 कोट कण्डार, कर्ण0चमोली	चमोली	रा0इ0का0 बैसोगिलानी, वि0ख0 कालसी	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:- अर्धशास्त्र

1	श्रीमती विजयालक्ष्मी शवत	रा0बा0इ0का0 धराली, चमोली	चमोली	रा0बा0इ0का0 पोखरी, वि0ख0 पोखरी	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
---	--------------------------	--------------------------	-------	--------------------------------	-------	--------------------------

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7590-7608 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।

- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

2 Kumar
9/7/15

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा0/ 332 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसृजित/20 (01)/2013 दिनांक 18 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- भौतिक विज्ञान

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	आनन्द कुमार	रा0इ0का0 कालसी, वि0ख0 कालसी,	देहरादून	रा0इ0का0 कैराब, वि0ख0 चकराता,	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री धीरेन्द्र मोहन डोमाल	रा.इ.का. पडागली, वि0ख0 मिल्गना	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 भरेटीधार, वि0ख0 जाखणधार	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	सूर्यकांत तियाड़ी	रा0इ0का0 नैनवाग, वि0ख0 जौनपुर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 मठियाली, वि0ख0 नरेन्दनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	अरुण धपलियाल	रा0इ0का0 चौरा, वि0ख0 धलीसैण	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 चौबट्टाखाल, वि0ख0 पोखड़ा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	चन्दन सिंह पवार	रा0इ0का0 ग्वालदम, वि0ख0 धराली	चमोली	रा0इ0का0 डुंगी मैकोट, वि0ख0 दशोली	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती निशा नेगी	रा0इ0का0 जसपुर खाल वि0ख0 बीरोखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 उज्याड़ी, वि0ख0 पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	ताजवर सिंह रावत	रा0इ0का0 जोशीमठ, वि0ख0 जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 देवखाल, वि0ख0 दशोली	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

28

2/7/15

(ग्रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7609-25 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तागत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित परिषद कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।

- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

2 June
21/9/15
(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पीड़ी

7109-35

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 333 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसृजित/20 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- भ्रूगोल


क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मालती	रा0इ0का0 बड़ागांव, वि0ख0 जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 ग्वाड़ देवलघार, वि0ख0 दशोली	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती स्मिता चौहान	रा.इ.का. गंगटाड़ी वि0ख0 नौगांव	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 कण्डारी, वि0ख0 नौगांव	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री सुनील सिंह	रा0इ0का0 चमकोट, वि0ख0 अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 गढ़बरसाली, वि0ख0 दुण्डा	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	नवीन सिंह	रा0इ0का0 अमोला, वि0ख0 हारीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 काण्डा, वि0ख0 कलजीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण छनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पु0सं0/ सेवा0अरा0/ 7626-39 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित बरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संबंधित वित्त अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
8. संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।
10. संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण छनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 334 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसृजित/20 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- अंग्रेजी

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कौशिकानन्द जगूडी	के0एस0डी0सी0 कुमाई रा0इ0का0 जोगथ वि0ख0 चिन्मालीसोड	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 गधलउ, वि0ख0 जौनपुर,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री शिवनाथ सिंह रावत	रा0इ0का0 चाकपूसी वि0ख0 द्वारीखाल	पौड़ी	रा0इ0का0 बल्ली, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	लखन सिंह बुटोला	रा0इ0का0 कवीलाखाल वि0ख0 जखोली	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 मवाली, वि0ख0 जखोली,	रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री हरेन्द्र सिंह	राइका खोलाचौरी, वि0ख0 कोट	पौड़ी	रा0इ0का0 उज्याडी, वि0ख0 पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	विनय कुमार शाह	रा0 इ0का0 नैलखनसर, वि0ख0 गैरसैण	चमोली	रा0इ0का0 काण्डा, वि0ख0 कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्री बालम सिंह	रा0इ0का0 चौरा, वि0ख0 थलीसैण	पौड़ी	रा0इ0का0 मुठियाली, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्री भगवती प्रसाद मनीडी	रा0इ0का0 हरमनी, वि0ख0 नारायणबगड़,	चमोली	रा0इ0का0 धालाबैठ वि0ख0 पोखरी	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	संगीता भण्डारी	रा0इ0का0 जवाहरनगर गयकोटी, वि0ख0 अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 खेडाखाल, वि0ख0 अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	डा0 अम्बरीष चन्द्र चमोली	रा.इ.का. घोपड़धार, वि0ख0 मिलंगना	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 खण्डकरी, वि0ख0 चम्बा	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्री शिव प्रसाद	रा0इ0का0 मौजखाल, वि0ख0 थलीसैण	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 नकुची, वि0ख0 जौनपुर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	श्री भगवती प्रसाद टम्टा	रा0इ0का0 किरैथ कोर, वि0ख0 मिलंगना,	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 घण्डियालधार, वि0ख0 मिलंगना,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	किरणबाला	राइका काण्डाखाल कौडिया, वि0ख0 जयहरीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 मवाधार, वि0ख0 कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ०सं० / सेवा०अरा० / 7640-61 / 3क(1) / स्था० / 2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई०डी० पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

2 June
21/7/15

(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 336 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/xxiv-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसृजित/20 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय- नागरिक शास्त्र

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मीला घिल्खियाल	रा0इ0का0 कुन्तगी, वि0ख0 द्वारीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 बैसोगिलानी, वि0ख0 कालसी	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	राधाराम	रा.इ.का.सावडा, वि0ख0 चकराता	देहरादून	रा0इ0का0 दसउ, वि0ख0 चकराता	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री बृजेश पंवार	रा0इ0का0 शाका कौली, वि0ख0 नरेंद्रनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 टिमली, वि0ख0 नरेंद्रनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	विकास कुमार	रा0इ0का0 पलढाडी, वि0ख0 उत्खीमट	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 धाती बूडाकेदार, वि0ख0 मिलंगना	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	अरविन्द कुमार	रा0इ0का0 चौरीखाल, वि0ख0 धलीसीग	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 रिखणीखाल, वि0ख0 रिखणीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती सुनीता	रा0इ0का0 पैतोली, वि0ख0 नारयणबगड़, चमौली	चमौली	रा0इ0का0 सरमौला, वि0ख0 पोखरी	चमौली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	डिम्पल कोठियाल	रा0 इ0का0 नन्दारौण, वि0ख0 गैरसैण	चमौली	रा0इ0का0 जाख, वि0ख0 कर्णप्रयाग	चमौली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति



 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा0/ 7703-19 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।

- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबन्धित पत्रावली।


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 337 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/xxiv-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2 दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXiv- नवसूजित/2 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्वया होने अथवा कोई तथ्य असात्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- रसायन विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	दिनेश चन्द्र सती	रा0इ0का0 देवीखेत, वि0ख0 पोखरी	चमोली	रा0इ0का0 नागनाथ पोखरी, वि0ख0 पोखरी	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री विरेन्द्र सिंह रावत	रा0इ0का0 लम्बागांव, वि0ख0 प्रतापनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 खांकर, वि0ख0 नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री चन्द्रवीर प्रताप राणा	रा0इ0का0 प्रतापनगर, वि0ख0 प्रतापनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 घण्डियालघार, वि0ख0 भिलंगना	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	रा0इ0का0 कण्डारा, वि0ख0 अगस्त्यमुनी	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 मुठियाली, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	पंकज बिष्ट	रा0इ0का0 जसपुर खाल बीरोखाल पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 दोन्दल, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	कैलाश चन्द्र गीड़	रा.इ.का. खालूखेत/ नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 काण्डा, वि0ख0 कल्जीखाल,	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	महावीर सिंह कण्डारी	रा0इ0का0 आछरीखुष्ट, वि0ख0 कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 रिगोली, वि0ख0 कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती चित्रा नौटियाल	रा0इ0का0 सौरा वि0ख0 भटवाडी	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 मुस्टिकसौंड,	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्री सुधीर कुमार	रा0इ0का0 जोशियाडा, वि0ख0 भटवाडी	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नकुर्ची, वि0ख0 जौनपुर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7720-38 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित दरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।

- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

L. S. Rao
21/7/15

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पीकी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा10/ 338 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसूजित/20 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- जीव विज्ञान

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	भगवती प्रसाद सेमवाल	रा0इ0का0 डडुली, वि0ख0 धलीसेण	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 मॉलधार लोस्तू, वि0ख0 कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	जगदम्बा प्रसाद	रा0इ0का0 चौरीखाल, वि0ख0 धलीसेण	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 उज्याड़ी, वि0ख0 पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री-कुशल सिंह बगियाल	रा0इ0का0 सेमण्डीधार, वि0ख0 जाखणीधार	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 रजाखेत, वि0ख0 जाखणीधार,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	उत्तम गुसाई	रा0इ0का0 चौरिया, वि0ख0 जखोली	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 मुण्डनेश्वर, वि0ख0 कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मंजू चौहान	रा0इ0का0 मैण्डखाल, वि0ख0 थौलधार	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 नकुर्ची, वि0ख0 जौनपुर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती भारती बधानी	रा0इ0का0 काण्डीखाल, वि0ख0 थौलधार	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 खण्डकरी, वि0ख0 चम्बा	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्री प्रयागनाथ	रा0इ0का0 चिमतोली, वि0ख0 अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 गेंदला, वि0ख0 दुण्डा	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	संजय कुमार	रा.इ.का. खिरैरीखाल, वि0ख0 नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 रडुवा चांदनीखाल, वि0ख0 पोखरी	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्री टीका प्रसाद डिमरी	रा0इ0का0 सिलगी, वि0ख0 कर्णप्रयाग,	चमोली	रा0इ0का0 नवाखाल, वि0ख0 खिसू	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्री महेश चन्द्र सुयाल	राइका मसाणगांव, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 खरसाड़ी, वि0ख0 देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा10/ 7739-58 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।

- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की गिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 339 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/xxiv-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसूजित/2 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- गणित

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	देवी दत्त नौटियाल	रा0इ0का0 गालूझघार, वि0ख0 प्रतापनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 नकुर्ची, वि0ख0 जौनपुर,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	महावीरसिंह रायत	रा0इ0का0 खरगेड भरदार वि0ख0 जखोली	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 फरसाडी, वि0ख0 बीरौखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	विमल किशोर	रा0इ0का0 मुन्नाखाल, वि0ख0 देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 सजवाण काण्डा, वि0ख0 देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री प्रमोद कुमार	रा.इ.का. पौखाल, वि0ख0 भिलंगना,	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 मंजकोट, नगुण, वि0ख0 कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7759-72 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, मनूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, मनूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संबंधित विलत अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
8. संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 340 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/xxiv-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्लॉम-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- इतिहास


क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री-कृष्ण देव रतूडी	रा0इ0का0दुग वि0ख0 जाखणीघार, टि0ग0	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 धारी कलांगी, वि0ख0 नौगांव,	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा0/ 7773-83 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तद्वै।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हरतगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षाकेतार कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा0/ 341 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV- नवसृजित/20 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (ख) एवं धारा-11 (3) (क) "उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत कार्मिक के शिक्षक पति अथवा पत्नी" के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:- हिन्दी

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरपाल लाल भारती प्रवक्ता	रा0इ0का0 जखौल, मोरी, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नैटवाड़, वि०ख० मोरी	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री मनवीर लाल गौतम	रा0इ0का0 जिध्याकोटधार, वि०ख० चिन्वालीसोड	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 मंड्रगांव, वि०ख० जुण्डा	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री कन्हैया लाल कुजवाल	रा.इ.का. डगंगी नैलघानी, वि०ख० भिलंगना	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 न्यूली अकरी, वि०ख० कीर्तिनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	शशि प्रसाद	रा0इ0का0 स्योली तल्ली वि०ख० बलीसैण	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 पैठाणी, वि०ख० थलीसैण	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्री चिरजीलाल नौटियाल/	रा0इ0का0 किनसुर/ वि०ख० द्वारीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 चमियारी वि०ख० चिन्वालीसोड,	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवाअरा0/ 7784-99 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी का विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय/कार्यालय में शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारी के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

[Handwritten signature]
 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 342 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015
विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013 शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV- नवसृजित/201 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ख) "विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं के विकलांगता/विक्रमिता प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-रसायन विज्ञान

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रकाश चन्द सती	स0इ0का0 नरेन्द्रनगर, वि0ख0 नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	स0इ0का0 पटेलनगर, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री संदीप कुमार वर्मा	स0इ0का0 कदाएटहाली, वि0ख0 डुण्डा	टिहरी गढ़वाल	स0इ0का0 लाठरदेवाहूण, वि0ख0 नारसन	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पु0सं0/ सेवा0अरा0/ 7800-12 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विल अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के विकलांगता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 343

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013 शासनादेश संख्या-2092/XXIV-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV- नवसूजित/2015- (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसूजित/2015-32 (01)/ 2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ख) "विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं के विकलांगता/विकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय-भौतिक विज्ञान

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री ताजवर सिंह राजवाण	रा0इ0का0 बड़ागांव, वि0ख0 जोशीमठ	धमोली	रा0इ0का0 नन्दप्रयाग, वि0ख0 दशोली	धमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7813-23 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के विकलांगता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 344 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013 शासनादेश संख्या-2092/xxiv-2/13-32 (01) मा0शि0अनु0-2, दिनांक 05.09.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसृजित/201 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ख) "विकलांग शिक्षक/शिक्षिकाओं के विकलांगता /धिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-अर्थशास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री घनश्याम राम गुप्ता	रा0इ0का0 बाडा बघणस्यु, वि0ख0 अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 हरवटपुर, वि0ख0 विकासनगर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री जय कुमार दोहरे	रा0इ0का0 खोलाचौरी, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 पौड़ी, वि0ख0 पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री अशोक कुमार	रा0इ0का0 मटियाली, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 कण्वघाटी, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पुसं0/ सेवा0अरा0/ 7824-37 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिरूपि- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक मेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के विकलांगता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा0/

345

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,


“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013' यथा संशोधित 2014' में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ख) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रयुक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-हिन्दी

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री गोकुल सिंह रावत	रा0इ0का0 लम्बगौण्डी, वि0ख0 उखीमठ	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 जवाडी, वि0ख0 जखौली	रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री इन्द्रपाल	रा0इ0का0 कचटा गांगरों, वि0ख0 कालसी	देहरादून	रा0इ0का0 टिमली, वि0ख0 विकासनगर,	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री सुरेश चन्द्र कोठियाल	रा0इ0का0 सबधरखाल, वि0ख0 कोट	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 सजवागकाण्डा, वि0ख0 हिण्डोलाखाल	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री देवेन्द्र दत्त पाण्डेय	रा0इ0का0 कण्डियालगांव, वि0ख0 प्रतापनगर	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 नौठ, भरपूर, वि0ख0 देवप्रयाग,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति






(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवाअरा0/ 7838-52 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 06 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।



(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

346

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसृजित/201: (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (अ) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-रसायन विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री भुवनेश्वर प्रसाद डोमाल	रा0इ0का0 मैण्डखाल, वि0ख0 धौलधार	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 आनन्द चौक, वि0ख0 जौनपुर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री दीपचन्द्र वर्मा	रा0इ0का0 मदननेगी, वि0ख0 जाखणीधार	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 नीर, वि0ख0 नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीप्रकाश डिमरी	रा0इ0का0 जोशीमठ, वि0ख0 जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 सोरना डोमरी वि0ख0 विकासनगर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

24/6

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

21/7/15

पू0सं0/ सेवा0अरा0/7853-66 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

21/7/15

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा/ **347** /3क(1)/स्था/2015-16 दिनोंक **2** जुलाई 2015




विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसूजित/2015-3 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ड) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-इतिहास


क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा	रा0इ0का0 सिमली, वि0ख0 कर्णप्रयाग	चमोली	रा0इ0का0 नवाखाल, वि0ख0 खिरसू	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री विजय प्रसाद मैठाण	रा0इ0का0 थराली, वि0ख0 थराली	चमोली	रा0इ0का0 डोमालवाला, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति




 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवाअरा/ **7867-78** /3क(1)/स्था/2015-16 दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश दिनांक की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तमी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

348

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनोंक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013' यथा संशोधित 2014' में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-(01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ड) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्लॉम-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-अंग्रेजी

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री भाष्करानन्द जदली	रा0इ0का0 डारबरी, वि0ख0 रिखणीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 संधीखाल, वि0ख0 जयहरीखाल	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7879-90 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विलत अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

349

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनोंक **21** जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (इ) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रयत्ना वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रयत्ना वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-गणित


क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रेम सिंह राणा	रा0इ0का0 बड़खेत, वि0ख0 रिखणीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 कुम्भीचौड़, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ **7891-7901** /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रयत्नाओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत आक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा0/ 350 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv- 2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसूजित/2015-3; (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (अ) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-नागरिक शास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री भीम सिंह रावत	रा0इ0का0 जयन्ती कोटियाड़ा, वि0ख0 जखोली	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 सिद्धसौंड, वि0ख0 जखोली	रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवाअरा0/ 7902-12 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आईडी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने दिकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

351

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ड) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-भूगोल


क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री बलवन्त सिंह बिष्ट	रा0इ0का0 टंगसा, वि0ख0 दशोली	चमोली	रा0इ0का0 लांघा, वि0ख0 विकासनगर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/7913-23 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विलत अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तभी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा10/

352

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

“उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013’ यथा संशोधित 2014’ में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv- नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसृजित/2015-3 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (3) (ब) ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि अवशेष है, पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय-अर्धशास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रघुनाथ सिंह रावत	रा0इ0का0 कीर्तिखाल, वि0ख0 द्वारीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 कोटद्वार, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	डॉ० सुरेन्द्र सिंह मेहरा	रा0इ0का0 कवाएटहाली, वि0ख0 डुण्डा	उत्तरकाशी	रा0की0इ0का0, उत्तरकाशी, वि0ख0 भटवाड़ी	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री भवानी प्रसाद उनियाल	रा0इ0का0 बड़कोट, वि0ख0 नौगांव,	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 तिमली, वि0ख0 विकासनगर,	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा10/ 7424-37 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदवधि।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखंडा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखंडा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विल अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तमी कार्यमुक्त करें, जब वह दिनांक 31 मार्च 2015 को 57 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, साथ ही स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

356

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013' यथा संशोधित 2014' में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ग) "गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं उनके आश्रितों (श्रेणी-क, ख, ग) के चिकित्सा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेंतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेंतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-गणित

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मोहन सिंह रावत	रा0इ0का0 कनखुल, वि0ख0 कर्णप्रमाण	धर्मोली	रा0इ0का0 बरोटीवाल, वि0ख0 विकासनगर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री राम कुमार	रा0इ0का0 धोपड़ियू, वि0ख0 पाबी	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 सिकन्दरपुर नैसवाल, वि0ख0 भगवानपुर	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7974-85/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 357 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013' यथा संशोधित 2014' में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201 /XXiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXiv-नवसृजित/2015-32 (01)/ 2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ग) "गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं उनके आश्रितों (श्रेणी-क, ख, ग) के चिकित्सा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-अर्थशास्त्र

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री महावीर कोटला	रा0इ0का0 कण्डारा, वि0ख0 पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 झण्डीधौड, वि0ख0 दुगड़डा	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	राखी पचौली	रा0इ0का0 कोचियार, वि0ख0 नैनीताल	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 गडीरघामपुर, वि0ख0 डोईवाला	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7986-95 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संबंधित वित्त अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
8. संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।
10. संबंधित पत्रावली।

(समकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 358 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" यथा संशोधित 2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ग) "गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं उनके आश्रितों (श्रेणी-क, ख, ग) के चिकित्सा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-रसायन विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती हेमलता रावत	रा0इ0का0 मेहलचौरी, वि0ख0 गैरसैण	चमोली	रा0इ0का0 डोमालवाला, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 7996-8007/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विलत अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा10/

359

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" यथा संशोधित 2014 में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ग) "गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं एवं उनके आश्रितों (श्रेणी-क, ख, ग) के चिकित्सा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य शाखा)

विषय:-समाज शास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री प्रकाश चन्द्र	रा0इ0का0 विपलघाट, वि0ख0 पाबौ	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 खदरी खडगमाफ, वि0ख0 डोईवाला	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा10/ 8008-8019 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम है। सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजीक।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 360 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूचित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूचित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-11 (4) पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेंतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रवक्ता वेंतनक्रम (सामान्य शाखा)

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विषय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भगवती प्रसाद,	रा0इ0का0 पुरियाडांग, कल्जीखाल	रसायन	पौड़ी	रा0इ0का0 रिखणीखाल, रिखणीखाल	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-2 के प्रति
2	पूजा ममगाई,	रा0इ0का0 रिखणीखाल, रिखणीखाल	रसायन	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 पुरियाडांग, कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-1 के प्रति
3	राम प्रकाश	रा0इ0का0 पटोटिया, नैनीडांडा	अर्थशास्त्र	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 आराकोट, मोरी	उत्तरकाशी	क्रमांक-4 के प्रति
4	अनिल कुमार	रा0इ0का0 आराकोट मोरी	अर्थशास्त्र	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 पटोटिया, नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-3 के प्रति
5	मण्डल सिंह	रा0इ0का0 अमोला, द्वारीखाल	अर्थशास्त्र	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 गडुगाड, मोरी	उत्तरकाशी	क्रमांक-6 के प्रति
6	हितेश कुमार पाल	रा0इ0का0 गडुगाड, मोरी	अर्थशास्त्र	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 अमोला, द्वारीखाल	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-5 के प्रति
7	जगदीश लाल टम्टा,	रा0इ0का0 साकिनखेत, कल्जीखाल	अंग्रेजी	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 बसुकेदार, अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	क्रमांक-8 के प्रति
8	शिव कुमार भारद्वाज,	रा0इ0का0 बसुकेदार, अगस्तमुनि	अंग्रेजी	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 साकिनखेत, कल्जीखाल	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-7 के प्रति
9	श्री विनोद कुमार	रा0इ0का0 क्वीलाखाल, जखोली,	भूगोल	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 पैतोली	चमोली	क्रमांक-10 के प्रति
10	श्री सतीश कुमार	रा0इ0का0 पैतोली,	भूगोल	चमोली	रा0इ0का0 क्वीलाखाल, जखोली,	रुद्रप्रयाग	क्रमांक-9 के प्रति
11	श्री शांति प्रसाद नौटियाल	रा0इ0का0 नागदेव पथल्ड, चम्बा,	हिन्दी	टिहरी	रा0इ0का0 घौतरी,	उत्तरकाशी	क्रमांक-12 के प्रति
12	श्री उमेश ध्यानी	रा0इ0का0 घौतरी, डुण्डा,	हिन्दी	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नागदेव पथल्ड	टिहरी गढ़वाल	क्रमांक-11 के प्रति
13	विपिन कुमार	रा0इ0का0 थालावैर पोखरी,	भौतिकी	चमोली	रा0इ0का0 देवलकोट, गैरसैण,	चमोली	क्रमांक-14 के प्रति
14	श्री आशुतोष गौड़	रा0इ0का0 देवलकोट, गैरसैण,	भौविज्ञान	चमोली	रा0इ0का0 थालावैर पोखरी,	चमोली	क्रमांक-13 के प्रति
15	धीरेन्द्र मण्डारी	रा0इ0का0 पटोटिया, नैनीडांडा	भौतिक विज्ञान	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 जिव्यकोटघार,	उत्तरकाशी	क्रमांक-16 के प्रति
16	संदीप शाह	रा0इ0का0 जिव्यकोटघार,	भौतिक विज्ञान	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 पटोटिया, नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल	क्रमांक-15 के प्रति

क्रमश-2

20

1	2	3	4	5	6	7	8
17	श्री संदीप सिंह चौहान	रा.इ.का. कोट विशन मिलंगना	भौतिक विज्ञान	टिहरी गढ़वाल	रा.इ.का. मंकोली भटवाड़ी	उत्तरकाशी	क्रमांक-18 के प्रति
18	श्री सौरभ गैरोला	रा.इ.का. मंकोली भटवाड़ी	भौतिक विज्ञान	उत्तरकाशी	रा.इ.का. कोट विशन मिलंगना	टिहरी गढ़वाल	क्रमांक-17 के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू०सं०/ सेवा०अ०रा०/ 8020-8048/3क(1)/स्था०/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schoolseducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई०डी० पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्तव्यों के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा०शि०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 361 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेंतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेंतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:- गृह विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती वीशाल जहां अंसारी	रा0बा0इ0का0 उत्तरकाशी, वि0ख0 मटवाड़ी	उत्तरकाशी	रा0बा0इ0का0 चिन्वालीसौड, वि0ख0 चिन्वालीसौड	उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8049-59 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा0/ 362 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,


"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसृजित/2015-(01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-गणित


1	श्रीमती पुष्पा चौहान	रा0बा0इ0का0 गौघर, वि0ख0 कर्णप्रयाग	चमोली	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी, वि0ख0 कालसी	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
---	----------------------	------------------------------------	-------	---------------------------------------	----------	--------------------------


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवाअरा0/ 8060-70 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवाअरा/ 363 /3क(1)/स्था/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्वया होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-इतिहास

क्र. सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती मुन्नी खरवार	रा0बा0इ0का0 कर्णप्रयाग, वि0ख0 कर्णप्रयाग	धर्मौली	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कालसी, वि0ख0 कालसी	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवाअरा/ 8071-81 /3क(1)/स्था/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को ही कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जाँच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/364 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेलनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्लॉम-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेलनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-समाज शास्त्र


क्र. सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	उपासना	रा0बा0इ0का0 श्रीनगर, वि0ख0 खिर्सू	पौड़ी गढ़वाल	रा0बा0इ0का0 रानीपुर, वि0ख0 बहादुराबाद	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8082-92 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा10/ 365 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (क) X क्षेत्र से Y क्षेत्र के लिए स्थानान्तरण हेतु पात्र अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्वया होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय-अर्थशास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती अनीता बहुगुणा	रा0बा0इ0का0 इकबालपुर, वि0ख0 भगवानपुर	हरिद्वार	रा0बा0इ0का0 हरिपुर कला, वि0ख0 कालसी	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा10/ 8093-8103/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हरतम करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत आक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

366

/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 2 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वयंसेविका सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-संस्कृत

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्रीमती सुष्मिता जोशी	रा0बा0इ0का0 गौचर,	घमोली	रा0बा0इ0का0 राजपुर रोड, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(Handwritten signature)
 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8104-14 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक रादैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित परिषद कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की गिनता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(Handwritten signature)
 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 367 / 3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ब) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-अर्थशास्त्र


क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	शान्ता दिष्ट	रा0बा0इ0का0 ऋषिकोश, वि0ख0 डौंवाला	देहरादून	रा0बा0इ0का0 ब्रहमपुरी, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


(रामकृष्ण-उनियाल)
अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8115-25 / 3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,(मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 368 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015




विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-नागरिक शास्त्र


क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मर्याद पुण्डरीर	रा0क0इ0का0 लैन्सडाउन, वि0ख0 जयहरीखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0क0इ0का0 लक्खीबाग, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति




 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8126-36 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विलत अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता धार्य जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 369 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.06.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वयंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-हिन्दी

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री भारत प्रकाश बडोनी	रा0इ0का0 देवलगढ़, वि0ख0 खिरसू	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 मल्लेगांव, वि0ख0 देवप्रयाग,	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)						विषय:-हिन्दी
1	श्रीमती रंजना फरस्वान	रा0बा0इ0का0 ऋषिकेश, वि0ख0 डोईवाला	देहरादून	रा0बा0इ0का0 कारगी ग्रांट, वि0ख0 रायपुर,	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8137-48 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की गिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 370 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अस्तित्व पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)


विषय:-गणित

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रश्मि बर्वाल	रा0इ0का0 देवकोट, वि0ख0 गैरसैण	घमोली	घ0रा0इ0का0 नसूरी, वि0ख0 सहरापुर,	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)


विषय:-गणित

1	सीमा	रा0का0इ0का0 एकेश्वर, वि0ख0 एकेश्वर	पौड़ी गढ़वाल	रा0का0इ0का0 ज्वालापुर, वि0ख0 बहादुराबाद,	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
---	------	------------------------------------	--------------	--	----------	--------------------------


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8149-60 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखा में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 371 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्र सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-रसायन विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	श्री अश्वनी कुमार	रा0इ0का0 टिकोबी, वि0ख0 मोरी	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 सिकन्दरपुर मैसवाल, वि0ख0 भगवानपुर	हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8161-71 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की गिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 372 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्रावधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)

विषय:-जीव विज्ञान

क्र0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री देवेश चन्द्र शुक्ला	रा0इ0का0 लमगौण्डी वि0ख0 उखीमठ	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 नीर, वि0ख0 नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8172-82/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/ शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की गिन्ता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक, (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।


आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 373 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015
विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv- नवसृजित/2015-3: (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (ब) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधुर, भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी, स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित पुत्री, के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (सामान्य संवर्ग)


विषय:-अंग्रेजी

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हरीश चन्द्र	रा0इ0का0 गुजराड़ा, वि0ख0 रायपुर	देहरादून	रा0इ0का0 छिददरवाला, वि0ख0 डोईवाला	देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8183-93 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।
 प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की
- 4 संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबन्धित वित्त अधिकारी।
- 6 संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबन्धित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्ति करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाए। साथ ही वे सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबन्धित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक, (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 374 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण,

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (झ) एवं धारा-11 (3) (ज) Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी के विद्यालय में, E श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में व F श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-जीव विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रामेश्वरी रावत	रा0बा0इ0का0 बीरोखाल, वि0ख0 बीरोखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0बा0इ0का0 एकेस्वर, वि0ख0 एकेस्वर,	पौड़ी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8194-8204/3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विल अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 375 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 16 जुलाई 2015


विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/XXIV-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/XXIV-नवसृजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (अ) एवं धारा-11 (3) (ज) Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी के विद्यालय में, E श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में व F श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-गणित


क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	कल्पना कण्डेरी	रा0बा0इ0का0 जोशीमत, वि0ख0 जोशीमत	चमोली	रा0बा0इ0का0 पोखरी, वि0ख0 पोखरी	चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


 (रामकृष्ण-उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 8205-15 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एव ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजीक।
- 10 संबंधित पत्रावली।


 (रामकृष्ण उनियाल)
 अपर निदेशक (मा0शि0)
 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा10/ 376 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

विज्ञापित/स्थानान्तरण

"उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या-201/xxiv-2/2013-32 (01)/2013, दिनांक 21.05.2013, शासनादेश संख्या-390/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013, दिनांक 27 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या/525/xxiv-नवसूजित/2015-32 (01)/2013 दिनांक 16 जुलाई 2015 के क्रम में नियमावली की धारा-10 (2) (अ) एवं धारा-11 (3) (ज) Y क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, D श्रेणी के विद्यालय से E श्रेणी अथवा F श्रेणी के विद्यालय में, E श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में व F श्रेणी के विद्यालय से केवल F श्रेणी के विद्यालय में पात्र निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं (प्रवक्ता वेतनक्रम) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। शासनादेश अन्यथा होने अथवा कोई तथ्य असत्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:- गृह विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सीमा	रा0बा0इ0का0 बीरोंखाल, वि0ख0 बीरोंखाल	पौड़ी गढ़वाल	रा0बा0इ0का0 लम्बगांव, वि0ख0 प्रतापनगर	टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा10/ 8216-26 /3क(1)/स्था0/2015-16 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट (www.schooleducation.uk.gov.in) एवं आपकी ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हरतगत करवाकर अपने जिले की कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना 05 अगस्त 2015 तक भेजना सुनिश्चित करें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित विद्यालय से स्पष्ट रिक्ति की सूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त किया जाय। स्थानान्तरित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाय। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालयों की श्रेणी जांच कर ही उन्हें नियमानुसार कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कदापि न किया जाय।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक (मा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी